बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–120/2020–2736 /पटना, दिनांक– 14/8/2020

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है:–

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

SL.No	Name of Division	Block	Name of Road	Length (In KM)	Cost. Of Initial Rectification with surface Renewal (in Lakhs)	Cost. Of 5 year Maintenance (in Lakhs)	Cost. Of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mohania	Mohania	Ramgarh Road To NH-30 Via Bundi Tekari	3.250	409.46000	21.79000	40.95000	472.20000
2	Mohania	Mohania	From 13th km of NH-30 To Bhagwanpur	2.600	72.68900	22.90700	7.26890	102.86490
3	Mohania	Mohania	PWD Road To Bharkhar	3.650	131.42200	31.85500	13.14220	176.41920
4	Mohania	Mohania	T04 To Doghara	2.700	104.51200	26.28500	10.45120	141.24820
5	Mohania	Mohania	NH-02 To Dadar (up To Manjhari)	3.900	131.14200	34.82200	13.11420	179.07820
6	Mohania	Mohania	T02 To Dulhapur	3.900	140.60700	35.14100	14.06070	189.80870
7	Mohania	Durgawati	T04 To Kanhpur	7.780	243.68000	66.24000	24.36800	334.28800
8	Mohania	Durgawati	T10 To Karari	4.200	132.96100	36.62800	13.29600	182.88500
9	Mohania	Kudra	NH-30 To Pasauli PMGSY Road To Bahuwara Via Natya Village	4.100	169.96000	34.48900	16.99600	221.44500
10	Mohania	Mohania	Samhautta To Azgra Remaining Part To Pasauli	6.000	199.18000	53.07700	19.91800	272.17500
11	Mohania	Mohania	T01 To Kaithiya	2.250	115.14500	20.07800	11.51400	146.73700
12	Mohania	Mohania	T01 (Ramgarh-Mohania Road) To Bundi Tekari	3.200	119.94300	27.78400	11.99400	159.72100
13	Mohania	Kudra	NH-30 To Pasauli	8.970	271.61700	79.41100	27.16170	378.18970
14	Mohania	Ramgarh	T05 Ramgarh Durgawati Road To Sumer Jamunara Road	2.850	93.82900	30.54500	9.38290	133.75690
15	Mohania	Ramgarh	Mahuwari Canal Road To PWD Road Nathuwa (Braham Asthan) Via Mahuwari	3.500	116.41900	37.42700	11.64100	165.48700

14/8/2020

SL.No	Name of Division	Block	Name of Road	Length (In KM)	Cost. Of Initial Rectification with surface Renewal (in Lakhs)	Cost. Of 5 year Maintenance (in Lakhs)	Cost. Of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Mohania	Ramgarh	Devahaliyan Bridge Mallah Toli Via Labedha To Narhan	5.000	167.35500	53.20600	16.73550	237.29650
17	Mohania	Ramgarh	T05 Labedha More To Labedahi	2.000	65.22000	21.55900	6.52200	93.30100
18	Mohania	Nuwan	Rampur Dera To Satwati Via Kharanti Road	5.300	180.87300	56.72400	18.08730	255.68430
19	Mohania	Kudra	Kudra- Parsathua Road from Phulli To Siswar	1.600	95.16300	13.84000	9.51630	118.51930
20	Mohania	Kudra	Kudra- Parsathua Road To Nimia Village Via Canal Road	2.500	139.35200	22.05600	13.93500	175.34300
	Total			79.250				4136.44790

2. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, मोहनियाँ** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत MBD आधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– **मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–120/2020** में दिनांक 07.08.2020 को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–14.8.2020 को संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–120/2020** में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

14/8/2020

11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054 04–120/2020 के पृ0– 9 /टि0 पर दिनांक–14.8.2020 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

14/8/2020

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–120/2020–2736/पटना, दिनांक– 14/8/2020

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–120/2020–2736 /पटना, दिनांक– 14/8/2020

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, **पटना**/जिला पदाधिकारी, **कैमूर**/उप विकास आयुक्त, **कैमूर**/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता–1** एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, **सासाराम**/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **मोहनियाँ** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं **आई0टी0 नोडल पदाधिकारी** को MIS में अपलोड करने हेतु एवं **आई0टी0 मैनेजर** को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/8/2020

अपर सचिव